राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय)
Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya
(State Technological University of Madhya Pradesh)

Prof. Piyush Trivedi
M.Pharm, Ph.D.
Vice–Chancellor

DO Letter No. VC/RGPV/2009/PS/9

दिनांक / Date : 02/09/2009

प्रति,

संचालक / प्राचार्य,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से
संबंद्ध समस्त अभियांत्रिकीय, फार्मेसी, आर्किटेक्चर
एवं एम.सी.ए. महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

विषय :– महाविद्यालयों में रैगिंग को रोकने संबंधी जारी दिशा – निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने बावत् ।

देश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग एवं रैगिंग समान सभी प्रकार के कृत्यों को निषेध करने, उसे रोकने एवं इसमें संलग्न छात्रों को दण्ड देने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 26 उपधारा (1) उपबन्ध (जी) में विस्तृत नियमावली का प्रकाशन किया गया है एवं इसे प्रचारित किया जा रहा है, ताकि शैक्षणिक सत्र 2009 – 2010 में देश भर की सभी शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग एवं इससे संबंधित समस्त प्रकार की गतिविधियों को रोका जा सके ।

भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने हाल ही में सभी राज्यपालों को रैगिंग की प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की मुहिम में मदद करने को भी कहा है । महामहिम राष्ट्रपति महोदया की विद्यार्थियों के प्रति चिन्ता हिमाचल प्रदेश एवं अन्य राज्यों में हुए रैगिंग प्रकरणों के दौरान भी जाहिर हुई है ।

इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर ने समय – समय पर इस आशय के निर्देश दिये हैं ताकि प्रदेश के अन्दर सख्त शैक्षणिक अनुशासन बना रहे एवं विद्यार्थियों को तनाव मुक्त परिसर में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो । महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में रैगिंग जैसी कुप्रवृत्तियों को हतोत्साहित करने के लिए समुचित कदम उठाने हेतु प्रेरित भी किया है । मध्यप्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदया श्रीमती अर्चना चिट्निस ने रैगिंग को रोकने हेतु शिक्षकों को विद्यार्थियों का मेनटर बनने का आव्हान किया है ताकि वह उनकी भावनाओं को जानकर तनावों और अवसादों को कम कर सके । ऐसा करने से निश्चित ही रैगिंग रूकेगी ।

ऐयरपोर्ट बॉयपास रोड, गांधी नगर, भोपाल-462 036. दूरभाष : 0755-2742001. फैक्स : 0755-2742002. ई-मेल-piyush.trivedi@rgtu.net
Airport Bypass Road, Gandhi Nagar, Bhopal–462 036. Ph. : 0755–2742001 Fax : 0755–2742002. Email–piyush.trivedi@rgtu.net
Website : www.rgtu.net

मैं इस पत्र के माध्यम से सभी संचालकों एवं प्राचार्यो को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देता हूँ कि वे शैक्षणिक संस्थाओं, विभागों,साविधिक ईकाई, समस्त प्रकार के आहातों, खेलकूद के स्थान,केन्टीन,महाविद्यालयीन कैम्पस के अन्दर एवं बाहर, यातायात के समस्त प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी साधनों में रैंगिग एवं इससे संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाना सुनिश्चित करें । इस हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में एन्टी रैगिंग समिति का गठन, उसकी सभी छात्र – छात्राओं को जानकारी, प्रचार – प्रसार एवं सभी से सहयोग लेने हेतु अपील करें । इससे शैक्षणिक संस्थाओं में स्वस्थ वातावरण निर्मित करने में सहयोग मिलेगा ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 की धारा – एक (जी) के प्रावधानों के तहत निर्मित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम – उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम – 2009 के निर्धारित दिशा – निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं आयोग के संदर्भित प्रावधानानुसार प्रत्येक छात्र एवं उनके अभिभावकों से निर्धारित प्रारूपों में शपथ पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जावे एवं प्रत्येक छात्र को उक्त अधिनियम की प्रति अति आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

प्रत्येक महाविद्यालय को इस आशय का शपथ पत्र की उसने अपने समस्त छात्रों को रैगिंग संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम – 2009 की प्रति उपलब्ध करा दी है एवं प्रत्येक छात्र एवं उसके अभिभावक से उक्त संदर्भित शपथ पत्र जमा करवा लिया गया है, देना होगा । शपथ पत्र संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाहियॉ अति आवश्यक रूप से शैक्षणिक सत्र 2009 – 2010 हेतु प्रवेश की अंतिम तिथि तक पूर्ण करना अनिवार्य है ।

मैं इस पत्र के माध्यम से शिक्षार्थियों से जो कि समस्त प्रदेश के महाविद्यालयों के प्राचार्यो, शिक्षकों एवं प्रबंधन से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ आज इस बात का संकल्प लें कि हम अपने विश्वविद्यालय में एवं महाविद्यालय में जहॉ हम शिक्षक है, या अध्ययनरत् हैं, ऐसा वातावरण तैयार करने में सार्थक पहल करेंगे जिससे आने वाले समय में हिन्सा का कोई स्थान न हो, रैगिंग का कोई दुष्कृत्य न हम करेंगे और न ही किसी को करने देंगे । मेरा आपको यह भी सुझाव है कि आप अपनी संस्था के प्रबुद्धजीवी प्राचार्यो एवं आचार्यो के साथ बैठकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के अनुरूप एक ऐसी योजना बनाये एवं उसको कियान्वित करे जिससे हम सभी रैगिंग जैसे दुष्कृत्य को रोकने के लिए उठ खड़े हों एवं हमारी पहल से रैगिंग की प्रवृत्ति हमारे शिक्षार्थियों में पनप ही न पाये । मेरा संकेत एक ऐसे प्रोएक्टिव माइन्ट सेट से है जिससे कि हम किसी भी घटना के होने से पहले ही उसका आभास कर उसे रोकने को लिए समुचित व्यवस्था करते हैं,पहल करते हैं एवं अपनी संस्था एवं छात्र समुदाय को उस कलंक से बचाते है जो हमारे लिए एक बहुत बड़े कलंक का कारण बन सकता है । जरा सोचिये किसी संस्था में रैगिंग के दुष्प्रभाव से कोई छात्र खुदकुशी कर बैठे उस परिवार के दुख का अंदाजा आप लगा सकते हैं । किसको मालूम है कि वह छात्र – छात्रा इस देश का प्रख्यात वैज्ञानिक,प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, अच्छा चिकित्सक या राष्ट्र नायक बन जाता ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस कुप्रथा से संबंधित प्रकरणों पर अति सख्त रूख अपनाया है । हलांकि महाविद्यालय भी इस कुप्रथा को रोकने में किसी हद तक सफल रहे हैं । लेकिन एक और प्रयास ऐसा होना चाहिए जिससे कि इस कुप्रथा को जड़ मूल से खत्म किया जा सके ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं महामहिम राज्यपाल महोदय के अपेक्षा अनुसार मैं इस अपील के माध्यम से प्रदेश के महाविद्यालयों में रैंगिग रोकने की दिशा में अति संवेदनशील एवं जाग्ररूक होने की अपेक्षा करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि दृढ़ता के साथ इस कुप्रथा को रोकने हेतु आप सभी संकल्पित होंगे ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

प्रो.पीयूष त्रिवेदी 01/09/09
कुलपति

क.एफ–1/कु.प./रागांप्रौवि/2009/ भोपाल,दिनांक /09/2009

प्रतिलिपि :–

01. महामहिम कुलाधिपति जी के प्रमुख सचिव,राजभवन,सचिवालय,भोपाल ।
02. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।

प्रो.पीयूष त्रिवेदी
कुलपति

रामेश्वर ठाकुर

राज्यपाल
मध्यप्रदेश

राजभवन
भोपाल—462 052

अ.शा. पत्र क्रमांक 1428/रा.स./यू.ए.-1/2009
दिनांक : 11 अगस्त, 2009

प्रिय प्रो॰ त्रिवेदी,

शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले नवागंतुक छात्रों के विरुद्ध घटित रैगिंग की घटनाओं के संबंध में समय-समय पर समाचार प्रकाश में आते रहे हैं। सीनियर छात्रों के इस आक्रामक, गैर अनुशासित, अमानवीय व्यवहार पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने पत्र दिनांक 01.07.2009 के द्वारा गंभीर चिंता प्रकट की है।

2/ आप सहमत होंगे कि देश के कुछ हिस्सों में संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में घटित रैगिंग की कुछ घटनाओं में जहां हमने उदीयमान प्रतिभाओं को खोया है वहीं कुछ छात्रों को शारीरिक क्षति भी पहुंची है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कतिपय मामलों में रैगिंग की घटनाओं पर सख्त रूख अपनाया है। रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्तर पर सतत जागरूकता आवश्यक है। कानूनी एवं दाण्डिक उपायों के माध्यम से ऐसे सीनियर छात्र जोकि रैगिंग का प्रयास करते है को यह स्पष्ट संदेश भेजा जाना चाहिए कि रैगिंग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

3/ महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने यह वांछा की है कि, वैधानिक उपायों के द्वारा रैगिंग पर सख्ती से रोक लगाये जाने के साथ-साथ जनसामान्य, स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेने पर भी विचार किया जाए। इस कुप्रथा को रोकने के लिये छात्रों के पालकों/अभिभावकों का सहयोग भी लिया जा सकता है।

4/ महामहिम राष्ट्रपति महोदया की अपेक्षा अनुसार, मैं इस पत्र के माध्यम से प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रैगिग को रोकने की दिशा में उपरोक्त सलाह एवं मार्गदर्शन देते हुए आपसे यह आशा करता हूँ कि, इस कुप्रथा को रोकने के लिये समस्त संबंधित पक्षों का सहयोग प्राप्त कर छात्र एवं समाज के हित में आप आवश्यक कदम उठायेंगे।

संलग्न – महामहिम राष्ट्रपति महोदया का पत्र

शुभकामनाएँ।

भवदीय

रामेश्वर ठाकुर

(रामेश्वर ठाकुर)

प्रो. पीयूष त्रिवेदी,
कुलपति,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल (म.प्र.)

J-859
12/08/09

सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

06/RB/2009

1 July, 2009

Dear Shri Thakurji,

As you are aware, repeated incidents have occurred which indicate that the perverse practice of ragging has not only become rampant in our educational institutions but acquired hideous proportions costing the sanity and life of some of the students. What is more worrisome is the persistent spread of this scourge both across a range of educational institutions as also across the length and breadth of our country. Such disorderly, aggressive and inhuman conduct on the part of senior students inflicting physical cruelty and mental torment on the freshers has outraged the society at large.

2. In the very recent past, I had publicly urged all concerned to join hands in eliminating the practice of ragging. Your knowledge, wisdom, experience and exhortation can help in no lesser measure in galvanizing the society towards wiping out this unseemly blot from our educational landscape.

3. It is heartening to note that the Supreme Court has already taken a strong stand against ragging. Moreover, rules and regulations to prevent ragging including laws have already been enacted at various levels or are in the pipeline. You may also consider such legislation, if it does not exist in your State. There is also a need to examine if there are gaps or inadequacies in the regulatory structure so as to build a credible architecture of legal deterrence. What is required is constant supervision by the university and college authorities and the related agencies of the government to maintain constant vigil and to strictly enforce the legal and penal provisions to drive home the message that the practice of ragging will not be tolerated any longer from vitiating the educational atmosphere.

4. While it is the primary responsibility of the management of educational institutions and the teachers to prevent ragging, it would make eminent sense if the parents and guardians are mobilized to counsel their wards to behave more responsibly and be supportive in their dealings with their juniors. Also enlisting the cooperation of NGOs active in this field can help ...

(5)

:: 2 ::

राष्ट्रपति का सचिवालय
क्रमांक 17444
दिनांक 21 JUL 2009

5. As the new academic calendar is about to commence soon, time has come when all the stakeholders in the realm of education and civil society need to seriously ponder and put their act together to prevent the menace of ragging. Your sagacious counsel and guidance to all stakeholders will go a long way in furthering this cause.

With regards,

Yours sincerely,

Pratibha Patil

(Pratibha Devisingh Patil)

Shri Rameshwar Thakur
Governor of Madhya Pradesh
Raj Bhavan
Bhopal 462 003.